रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236360 CG-DL-E-07062022-236360

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2477] No. 2477] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

का.आ. 2604(अ).—केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 जून, 2022 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 2 से धारा 105 और धारा 107 से धारा 114 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी -11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी] सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

S.O. 2604(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby appoints the 7th day of June, 2022 as the date on which the provisions of section 2 to 105 and 107 to 114 of the Inland Vessels Act, 2021 shall come into force.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT] SUNIL KUMAR SINGH, Advisor (Statistics)

3808 GI/2022